



केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल

 driштиias.com/hindi/printpdf/central-equipment-identity-register-portal

प्रीलिम्स के लिये:

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर

मेन्स के लिये:

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर से संबंधित विभिन्न तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) द्वारा 'केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर' (Central Equipment Identity Register-CEIR) नामक पोर्टल की शुआत की गई है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार द्वारा यह पोर्टल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये प्रारंभ किया गया है।
- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर को सर्वप्रथम सितंबर, 2019 में महाराष्ट्र के लिये लॉन्च किया गया था।

क्या है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल?



- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन के संबंध में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया है-
 - मोबाइल ग्राहकों द्वारा चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक (Block) करने के संबंध में अनुरोध करना;
 - मोबाइल का पता लगाने में सहजता के लिये पुलिस के साथ संबंधित डेटा को साझा करना;
 - चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन को पुनः अनब्लॉक (Unblock) करना;
 - सभी मोबाइल नेटवर्क पर ऐसे मोबाइल की सेवाओं को ब्लॉक करना
- इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.ceir.gov.in> है।

पोर्टल के संबंध में अन्य तथ्य:

- खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने हेतु पोर्टल पर फॉर्म भरने से पहले पुलिस रिपोर्ट की प्रति, पहचान प्रमाण-पत्र और मोबाइल खरीद चालान की प्रति की आवश्यकता होती है।
- चोरी/खोए हुए मोबाइल की रिपोर्ट पोर्टल पर करने के लिये IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर की आवश्यकता होती है।
- सभी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियाँ 'ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' (Global System for Mobile Communications Association) द्वारा आवंटित रेंज के आधार पर प्रत्येक मोबाइल फोन को IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर प्रदान करती हैं एवं यदि फोन दोहरे सिम का है तो उसमें दो IMEI नंबर होते हैं।
- किसी भी फोन की पहचान IMEI नंबर के आधार पर की जाती है, जो मोबाइलों में बैटरी के नीचे या मोबाइल पर '* # 06 # डायल करके भी ज्ञात किया जा सकता है।
- यदि शिकायतकर्ता को अपना चोरी किया हुआ मोबाइल वापस मिल जाता है, तो उपयोगकर्ता को पहले स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उपयोगकर्ता वेबसाइट पर दूसरा फॉर्म सबमिट करके मोबाइल को अनब्लॉक कर सकता है।

पोर्टल का उद्देश्य:

- इस तरह के केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध होने पर मोबाइल चोरी या अवैध मोबाइल फोन की पहचान करने तथा उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी।
- कई बार फोन संबंधी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक प्रामाणिक IMEI नंबर के बजाय डुप्लीकेट IMEI नंबर या सभी 15 नंबरों के स्थान पर शून्य के साथ फोन प्रयोग किये जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CEIR ऐसे उपभोक्ताओं की सभी सेवाओं को ब्लॉक कर सकेगा। वर्तमान में यह क्षमता केवल निजी सेवा प्रदाताओं के पास है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस
